संख्या- 857/2022/857 /नौ-**9-2022-191**ज/**20**

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम**,**
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 23 मई**, 2022

विषय-समस्त नगर निगमों में सम्पत्तियों के नामान्तरण शत-प्रतिशत ऑनलाइन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-**210/**नौ-**9-2019-18**ज/**19,** दिनांक-**27.02.2019,** पत्र संख्या-**1738/**नौ-**9-2019-18**ज/**19,** दिनांक-**15.09.2019** एवं पत्र संख्या-**1887/**नौ-**9-2020-8**ज/**19,** दिनांक-**07.10.2020** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सम्पत्तियों के ऑनलाइन नामान्तरण किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत् निर्गत किये गये हैं:-

1. उ**0**प्र**0** जनहित गारण्टी अधिनियम**, 2011** के अन्तर्गत राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने तथा उससे संबंधित और अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था की गयी है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, उ**0**प्र**0** शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक-**15.01.2011** में नगर निगम की सीमा में स्थित अविवादित सम्पत्तियों के नामान्तरण हेतु **45** कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

2. दिनांक-**01.04.2019** से प्रदेश के सभी **17** नगर निगमों में सम्पत्तियों का नामान्तरण ऑनलाइन ही किया जाये। आॅफलाइन नामान्तरण की कार्यवाही को उक्त तिथि के पश्चात् पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित कर दिया जाये। सभी नगर निगम इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही उक्त समय अवधि तक पूर्ण कर लें। **45** कार्य दिवस के भीतर नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण न करने पर संबंधित जोनल अधिकारी से उच्च स्तर के अधिकारी (मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अथवा अपर नगर आयुक्त) का अनुमोदन नामान्तरण हेतु आवश्यक होगा। उक्त अधिकारी प्रकरण में **06** कार्य दिवस के भीतर निर्णय लेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् नामान्तरण हेतु नगर आयुक्त का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. किसी जोन में अविवादित नामान्तरण के प्रकरणों में **03** प्रतिशत से अधिक में **45** दिन के अन्दर निर्णय न होने की दशा में उक्त जोन के जोनल अधिकारी का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाये। नगर निगम प्रत्येक **03** माह में यह सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि उ**0**प्र**0** नगर निगम अधिनियम**, 1959** की धारा-**213** के अन्तर्गत सम्पत्तियों के नामान्तरण का प्राविधान किया गया है। जन सामान्य को त्वरित**,** सुलभ एवं पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-नगरसेवा के अन्तर्गत प्रदेश के **60** नगरों में **12** सुविधाओं को समेकित करते हुए सम्पत्तियों के नामान्तरण की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी कतिपय नगर निगमों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर ऑनलाइन कार्यवाही के साथ ही आॅफलाइन कार्यवाही भी की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि-

1. मिलियन प्लस नगर निगमों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद एवं मेरठ) में सम्पत्तियों के नामान्तरण (म्यूटेशन) की ऑनलाइन कार्यवाही हेतु दिनांक-**31.07.2022** तक समस्त आवश्यक तैयारियां/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये तथा दिनांक-**01.08.2022** से आॅफलाइन नामान्तरण (म्यूटेशन) की कार्यवाही पूर्णतः बन्द करते हुए आॅनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही ही की जाये।

2. नॉन मिलियन प्लस नगर निगमों के स्तर पर सम्पत्तियों के नामान्तरण (म्यूटेशन) की ऑनलाइन कार्यवाही हेतु दिनांक-**31.08.2022** तक समस्त आवश्यक तैयारियां/व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये तथा दिनांक-**01.09.2022** से ऑफलाइन नामान्तरण (म्यूटेशन) की कार्यवाही पूर्णतः बन्द करते हुए ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्यवाही ही की जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(**अमृत अभिजात)**
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

<u>प्रतिलिपि-</u>

1.निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ**0**प्र**0** लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए शासन को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

2.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन**0**आई**0**सी**0),** योजना भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए नगरीय निकाय निदेशालय एवं समस्त नगर निकायों निर्धारित तिथि तक आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

3.श्री मोहन ठाकुर, मुख्य समन्वयक (आई**0**टी**0),** नगरीय निकाय निदेशालय, उ**0**प्र**0** लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि एन**0**आई**0**सी**0** से समन्वय करते हुए आनलाइन म्यूटेशन हेतु निर्धारित तिथि तक समस्त आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

4.कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**अमित कुमार सिंह)**
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in